समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. रामनरेश तनय बांदीप्रसाद ब्राह्मण
निवासी ग्राम भवानीपुर तह. पन्ना म.प्र. ....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म०प्र० भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला पन्ना म.प्र. प्रकरण क्रमांक 07/निगरानी/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10–05–06 से परिवेदित होकर (अपर आयुक्त सागर के द्वारा दिनांक 30.03.16 को वापिस लेकर संशोधन अधिनियम के तहत) यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, आवेदक को प्रकरण क्रमांक 288अ/19(ब) वर्ष 1986–87 में आ.नं. 253, 431/4 रकवा 2.00 हे0 सन् 1987 में म. प्र. शासन कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमिस्वामी अधिकारों के अंतर्गत 02.10.84 के पूर्व के कब्जे के आधार पर विधिवत प्रकिया अपनायी जाकर 02.10.84 को आवेदक का कब्जा होने जैसा कि खसरा पांचसाला वर्ष 83–84 में आवेदक का कब्जा दर्ज होना प्रमाणित है। विधिवत प्रकिया अपनाते हुए प्रदान किया गया था जिसकी जानकारी समस्त राजस्व अधिकारियों को थी किंतु आवेदक के ही परिवार के विरोधी व्यक्तियों की फर्जी शिकायत के आधार पर तहसीलदार पन्ना के द्वारा प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भेजा गया जिसके आधार पर आवेदक को कारण बताओं सूचनापत्र देकर उसके द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं कागजातों का अवलोकन किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टा स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करते हुए भूमि म.प्र. शासन में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर के समक्ष 13 जून 2006 में निगरानी प्रस्तुत की जिसे संशोधन अधिनियम के तहत दिनांक 31.03.16 को वापिस लेकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराई है जो श्रवण योग्य है।

//निगरान के आधार//

2. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारण बाताओ सूचनापत्र के जबाव का विधिवत परिक्षण नहीं किया, ना ही प्रस्तुत खसरा पांचसाला वर्ष 83–84 का अवलोकन किया गया, दखल रहित अधिनियम के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि आवेदक का कब्जा 02.10.84 को था अथवा नहीं, इस संबंध में निवेदन है कि आवेदक को विधिवत कब्जा होने के आधार पर ही पट्टा आदेश जारी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 1134 II/15 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-4-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2—मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर जिला पन्ना म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 07/निगरानी /2004—05 मे पारित आदेश दिनांक 10/05/2006 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम भवानीपुर की भूमि आराजी नं0 253, 431/4 रकवा 2.000 हे0 भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 20 वर्षो से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार पन्ना द्वारा प्र. क. 288/अ—19(ब)/1986—87 आदेश दिनांक 25.03.1993 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय कलेक्टर पन्ना द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी। जिसे वापस लेकर संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 22—23 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है उनका यह भी तर्क है कि, आवेदक को वर्ष 84 के खसरा में कब्जा दर्ज होने के आधार पर पर दखल रहित अधिनियम के तहत व्यवस्थापन किया गया था खसरा की प्रति निगरानी के साथ प्रस्तुत की है अतएव उन्होनें आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। कलेक्टर पन्ना द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1993 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/05/2006 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/03/1993 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य